उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास विभाग
संख्या 1720/XI/17/56(54)2017TC
देहरादूनः दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या 1357/XI/17/56(54)2017, दिनांक 25.08.2017 द्वारा गठित "ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग" हेतु कार्यों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत निम्न उद्देश्य एवं कार्य (TOR) एतद्द्वारा निर्धारित किये जाते हैं :–

1. राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का आंकलन करना।
2. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टि विकसित करना, जो पलायन की गभीरता को कम कर ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करेगा।
3. जमीनी स्तर पर बहु–क्षेत्रीय विकास के लिये सरकार को सलाह प्रदान करना, जो जिला और राज्य स्तर पर संयुक्त रूप से हो।
4. राज्य की आबादी के उन वर्गों के लिये जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हैं, हेतु लघु/मध्यम/दीर्घ अवधि की कार्ययोजना की सिफारिश प्रस्तुत करना।
5. विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित पहल की सिफारिश और निगरानी करना, जो ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास में सहायक होकर पलायन को रोकने में सक्षम हो।
6. इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी भी अन्य मामले में सिफारिशें प्रदान करना।

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव

संख्या 1720/XI/17/56(54)2017, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 उपाध्यक्ष, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी को मा0मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(युगल किशोर पंत)
अपर सचिव।